

प्रियकृति

**प्रिय प्राप्ति गुप्त
संयुक्त संघिय
उत्तर प्रदेश शासन।**

लेखा

**संघिय
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्
शिक्षा केन्द्र-२ समायकेन्द्र,
प्रीति विहार, नईदिल्ली।**

प्रियोग १७८ अनुभाग

लेखनक्र: दिनांक: १२ अक्टूबर, 2004

विषय:-

एस०एस० के पांचक स्कूल मुजफ्फरनगर के सी०बी०एस०इ० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापात्त प्रमाण पत्र दिये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विधालय जो सी०बी०एस०इ० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापात्त प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपात्त नहीं है :-

- ११। विधालय की प्रंजीकृत सौसायटी का संख्या-सम्बन्ध पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- १२। विधालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सङ्ग सदस्य होंगा।
- १३। विधालय में कम से कम 10 प्रातिष्ठात स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति और ऐसाकी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उप्र०गा०शिक्षा परिषद्/बैसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संयोगित विधालयों में विभिन्न क्लासों के तिर निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- १४। संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विधालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् अथवा बैसिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विधालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्/कौन्सिल फार दि इंडियन स्कूल सीरीफिलेट इक्जामिनेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषद् की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उप्र०गा०शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगे।

- १५। संस्था के ऐकांकिक एवं शिक्षोत्तर कर्मचारियों को राजनीय सहायता प्राप्त लिखा संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमति देते सानों तथा अन्य भत्तों से लग देते सान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायें।
- १६। कर्मचारियों को ऐका शर्त बनाया जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विधायियों के कर्मचारियों की अनुमति लेवा-निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायें।
- १७। राज्य सरकार द्वारा सम्प्रय-सम्प्रय पर जो भी भौदेश निर्गत किये जायें संस्था उनका पालन करेगी।
- १८। विधालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- १९। उक्त शतों में राज्य सरकार लैप्यवार्नुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य ढोगा और यदि किसी सम्प्रय वह पापा जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की वृद्ध या शिर्षिता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीप,


| **प्रकाश गुप्त |**
✓ संयुक्त सचिव |

पूर्णस्वं दिनांक त्वयै

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 2- मण्डलीय संस्कृता शिक्षा निदेशक, सहारनपुर।
- 3- जिला विधालय निरीक्षक, मुजफ्फरनगर।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विधालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- प्रबंधक, संसाधनों परिकल स्कूल मुजफ्फरनगर।
- 6- गार्ड बुक।

आज्ञा से

| **प्रकाश गुप्त |**
संयुक्त सचिव |